EDN-A-Ka- (9)-14/2014/15
Government of Himachal Pradesh
Department of Higher Education

From

The Additional Chief Secretary (Education) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

To

The Director of Higher Education
Himachal Pradesh, Shimla -171001.

Dated; Shimla-171002. The 30th March, 2016

Subject: संसदीय राजभाषा समिति की सम्बन्धित उप समिति द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के लिहाज से किए जाने वाले निरिक्षण से सम्बन्धित प्रश्नावली में अपेक्षित सही, संगत और पूर्ण जानकारी को ठीक तरह से प्रस्तुत किया जाना ।

Sir,

I am directed to enclose herewith a photocopy of letter no.1/2009-II-Hindi-2798, dated: 15.03.2016 received from Director of Language, Arts & Culture Department HP., addressed to this Department, on the subject cited above and to request you to take further necessary action in the matter accordingly.

Yours faithfully,

(Pushpa Chaudhary)
Deputy Secretary (Hr. Edu) to the
Government of Himachal Pradesh.

P. A. Cell
DHE.........
31 MAR 2016
Branch

Directorate of Hr. Education
Himachal Pradesh

Endst. No. EDN-H(1)B(15)1/2009- Imp. Instt. Dated Shimla – 171001 the 20/4/2016
Copy for information and further necessary action is forwarded to :-

1. The Addl.Chief Secretary(Education) to the Govt. of Himachal Pradesh for w.r.t. his letter reffered as above.
2. The Additional Director of Hr. Education (Adm.), H.P.
3. The Additional Director of Hr. Education (C) H.P.
4. The Joint Director of Hr. Education, C-I/ C-II, H.P.
5. The Joint Controller (F&A), Dte. of Hr. Education, H.P.
6. The OSD(C)/ OSD(Skt.) Directorate of Hr. Education, H.P.
7. All the Principals of Govt. Degree/Skt. Colleges in the H.P.
8. All Deputy Directors / Assistant Directors, Dte. of Hr. Education, H.P.
9. All the Deputy Directors of Hr. Education in the Pradesh for strict compliance. .
10. The DDO, to the Directorate of Hr. Education, H.P.
11. All the DDOs of Higher Education in Himachal Pradesh to take further necessary action in the matte accordingly..
12. The PS to the Director of Higher Education, H.P.
13. *The Incharge Computer Cell, Dte. of Hr. Education, H.P with the remarks to upload the said orders on the deptt. Website.*
14. All the Superintendents in the Directorate of Hr. Education, H.P. for strict compliance.
15. Guard File.

Director Higher Education
Himachal Pradesh

5

संख्याः भासनि:–1/2009–II–हिन्दी– 2745

भाषा एवं संस्कृति विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9

सेवा में,

17-3-16

अतिरिक्त मुख्य सचिव
(शिक्षा)
हि०प्र० सरकार, शिमला-2

5353 / 2016
26/03/2016

दिनांकः 15/3/016 शिमला–9

विषय :– संसदीय राजभाषा समिति की सम्बन्धित उप समिति द्वारा सरकारी काम–काज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का जायज़ा लेने के लिहाज़ से किए जाने वाले निरीक्षण से सम्बन्धित प्रश्नावली में अपेक्षित सही, संगत और पूर्ण जानकारी को ठीक तरह से प्रस्तुत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में विभाग में संयुक्त सचिव, (समन्वय और लोक शिकायत) भारत सरकार गृह–मंत्रालय का पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव, (भाषा–संस्कृति) हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमें सरकारी काम–काज में राजभाषा हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग के सम्बन्ध में निरीक्षण से संबंधित प्रश्नावली में अपेक्षित, सही, संगत और पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया है।

हिमाचल प्रदेश में हिन्दी भाषा के समुचित विकास एवं सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग हेतु हिमाचल प्रदेश राजभाषा अधिनियम–1975 पारित कर इस अधिनियम के अन्तर्गत 26 जनवरी, 1978 से प्रदेश में समस्त प्रशासनिक कार्य हिन्दी में किए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कार्यालयों को समय–समय पर मार्गदर्शन तथा सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई गई है।

हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में सशक्त माध्यम बनाने के प्रयोजन से हिन्दी का सरल रूप बनाया जाना लोकहित में है क्योंकि आम आदमी बिना किसी कठिनाई के इसका अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता है, जिससे हर नागरिक को सरकारी कामकाज में सुगमता रहती है। आम आदमी हिन्दी भाषा को सरलता से समझ सकता है। प्रशासन में पारदर्शिता तभी सम्भव हो पाएगी जब प्रशासन का सभी कार्य सरल भाषा में हो परन्तु अभी भी बहुत सारा कार्य अंग्रेजी में ही कियां जा रहा है जो अनुचित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजभाषा का सम्मान करते हुए भविष्य में अपने कार्यालय से संबंधित समस्त कार्य हिन्दी में करें तथा हिन्दीकरण की त्रैमासिक रिपोर्ट (जनवरी–मार्च, अप्रैल–जून, जुलाई– सितम्बर तथा अक्तूबर–दिसम्बर) विभाग को अवश्य भेजें ताकि संसदीय राजभाषा समिति तथा भारत सरकार को सही जानकारी से अवगत करवाया जा सके।

18/3 US (Edu)

भवदीय,

(अरूण शर्मा)
निदेशक

Phone No.0177-2626616
Mail-dirlculture@gmail.com
Fax-0177-2628789

दिनांकः

संख्याः यथोपरि–

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भाषा–संस्कृति हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 को उनके पत्र संख्याः एल.सी.डी.ए (4)–3/2012 दिनांकः 22.12.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. संयुक्त सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र संख्याः 20034/1/2013 –हिन्दी (खंड) दिनांक 27.08.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(अरूण शर्मा)
निदेशक,